न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 292/18 **निर्णय दिनांकः 16.10.2018**

1. मांगे खॉ पुत्र गुलामें खॉ जाति मुसलमान निवासी चक 10 एम.एस.एम. तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. खलील पुत्र बाकर खॉ जाति मुसलमान निवासी गणेशावाली तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. शेषकरण पुत्र मघदान जाति चारण निवासी गांव गणेशावाला तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 18—07—2017
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः—

1. श्री मलिक अली खान, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जगदीश शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 18—07—2017 जिसके द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि में से एकतरफा तौर पर रास्ता स्वीकृत किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम)1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपील बहस में कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 10 एम.एस.एम. तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 156/48 में तादादी 20 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 156/47 में 25 बीघा भूमि स्थित है। जिसकी खातेदारी सनद् दिनांक 28—08—2012 को जारी की जा चुकी है तथा अपीलांट वादगत् भूमि पर काबिज काश्त है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है उक्त भूमि पर मुरब्बा नम्बर 156/48 के किला नम्बर 1 में अपीलांट की ढाणी बनी हुई है व मुरब्बा नम्बर 156/47 के किला नम्बर 3 में पानी की डिग्गी व ढाणी बनी हुई है। उक्त तथ्य पर अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार का कोई गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना व सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है नाही अदालत मातहत द्वारा संबंधित पटवारी से वादगत् भूमि के बाबत् किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। इस प्रकार अदालत मातहत का आदेश जैर अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया किया रेस्पोडेन्ट को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ते की सुविधा उपलब्ध होते हुए भी प्रस्ताव प्राप्त करते हुए आदेश जैर अपील मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से पारित किया गया है। चूंकि रेस्पोडेन्ट को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध था ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किसी प्रकार के रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा रास्ते के प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित करते हुए रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है जिस पर किसी प्रकार का रास्ता कायम करने से पूर्व खातेदार को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर दिया जाना अपरिहार्य है। मौके पर अपीलांट की फसल खड़ी है। यदि रास्ता कायम किया जाता है तो अपीलांट की फसल को नुकसान होना तय है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा चक 10 एम.एस. एम. के काश्तकारों द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर रास्ता स्वीकृत करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा संबंधित किसी भी खातेदार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना मात्र इस आधार पर की चकप्लान अनुसार आंशिक रास्ते स्वीकृत होकर दर्ज रिकार्ड है किन्तु आधे चक में उक्त स्वीकृत रास्तों का दक्षिण दिशा में रास्ता स्वीकृत नहीं होने के कारण रास्तों का मिलान नहीं होता है अतः प्रस्तावित रास्तों की सूचियॉ मय चकप्लान स्वीकृत करते हुए प्रस्ताव अनुसार 2—2 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश प्रदान किये गये हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत द्वारा मात्र अपीलांट के धारण की भूमि पर ही रास्ता कायम करते हुए इंतकाल दर्ज किया गया है शेष काश्तकारों की भूमि पर कायम रास्ते का इंतकाल आज दिनांक तक कायम नहीं किया गया है। जिससे साबित है कि अदालत मातहत द्वारा मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत का आदेश जैर अपील विधि के सर्वमान्य सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत के समक्ष चक 10 एम.एस.एम. के काश्तकारों

द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा संबंधित तहसीलदार से प्रस्ताव आंमत्रित किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जिसमें अभिलिखित किया गया है कि रिकार्ड व चक प्लान के अनुसार चक 10 एम.एस.एम. में आंशिक रास्ते स्वीकृत होकर रिकार्ड में दर्ज है परन्तु आधे चक में उक्त स्वीकृत रास्तों का दक्षिण दिशा में रास्ता स्वीकृत नहीं होने के कारण रास्तों का मिलान नहीं हो रहा है। अतः चकप्लान के अनुसार रास्तों की सूचियों मय चकप्लान अनुसार 02—02— बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त यह पाये जाने पर कि चक 10 एम.एस.एम. में उत्तर—दक्षिण दिशा में चकप्लान अनुसार रास्ता स्वीकृत नहीं होने के कारण रास्तों का मिलान नहीं हो रहा है अतः प्रस्तावित रास्तों की सूचियॉ मय चकप्लान स्वीकृत किया जाता है।

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा चकप्लान के अनुसार रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है। यहा यह उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत के आदेश के अनुसरण में पटवारी हल्का आदेश जैर अपील की पालना में रास्ता कायम करने हेतु मौके पर पहुॅचने पर अपीलांट मांगे खॉ द्वारा मौके पर उपस्थित होकर रास्ता खोलने से इंकार किया तथा यह भी रिपोर्ट अंकित की गई है कि मौके पर मुरब्बा नम्बर 156/47 व 156/48 में कटानी रास्ता बंद है। जिसे खुलवाने की स्थिति में विवाद उत्पन्न होने के कारण पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाया जाये अन्यथा भू—अभिलेख निरीक्षक के नेतृत्व में दल गठन के आदेश फरमावें। उक्त तथ्य से साबित है कि अपीलांट स्वयं जानबूझकर अदालत मातहत के आदेशों की पालना से रेस्पोडेन्ट को वंचित कर रहा है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट इस तथ्य को भलीभांति जानते थे कि उक्त रास्ता चकप्लान के अनुसार ही स्वीकृत किया गया है। जिससे किसी भी काश्तकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा स्वमेव चकप्लान की प्रति न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जिससे साबित है कि

वे स्वयं इस तथ्य से भलींभांति परिचित थे कि चकप्लान में उक्त रास्ता पूर्व से ही स्वीकृत चला आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा भी चकप्लान के अनुसार ही रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जिसका कोई औचित्य नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि चक 10 एम.एस.एम. के चकप्लान में अंकित रास्तों की सूचियों व प्रस्तावनुसार 02—02 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) इस संबंध में अपीलांट का मुख्य कथन है कि चक 10 एम.एस. एम. के मुरब्बा नम्बर 156/48 में तादादी 20 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 156/47 में 25 बीघा खातेदारी भूमि स्थित है। जिसकी खातेदारी सनद् दिनांक 28—08—2012 को जारी की जा चुकी है तथा अपीलांट वादगत् भूमि पर काबिज काश्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है जबकि उक्त भूमि पर मुरब्बा नम्बर 156/48 के किला नम्बर 1 में अपीलांट की ढाणी बनी हुई है व मुरब्बा नम्बर 156/47 के किला नम्बर 3 में पानी की डिग्गी व ढाणी बनी हुई है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना व सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है नाही अदालत मातहत द्वारा संबंधित पटवारी से वादगत् भूमि के बाबत् किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। इस प्रकार अदालत मातहत का आदेश जैर अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है।

(3) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अदालत मातहत द्वारा चक 10 एम.एस.एम. के काश्तकारों द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित तहसीलदार से प्रस्ताव आंमत्रित किये गये जिसमें अभिलिखित किया गया है कि रिकार्ड व चक प्लान के अनुसार चक 10 एम.एस.एम. में आंशिक रास्ते स्वीकृत होकर रिकार्ड में दर्ज है परन्तु आधे चक में उक्त स्वीकृत रास्तों का दक्षिण दिशा में रास्ता स्वीकृत नहीं होने के कारण रास्तों का मिलान नहीं हो रहा है। अतः चकप्लान के अनुसार रास्तों की सूचियों मय चकप्लान अनुसार 02—02— बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है।

(4) प्रकरण में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत चकप्लान का अवलोकन किया गया। उक्त चकप्लान के अवलोकन से यह तथ्य भलीभांति साबित है कि चकप्लान के अनुसार पूर्व से रास्ता स्वीकृत चला आ रहा है जिसका इंद्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं होने के कारण मौके पर पेचिदगियॉ उत्पन्न होने की स्थिति में चकवासियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त यह पाये जाने पर कि चक 10 एम.एस.एम. में उत्तर—दक्षिण दिशा में चकप्लान अनुसार रास्ता स्वीकृत नहीं होने के कारण रास्तों का मिलान नहीं हो रहा है अतः प्रस्तावित रास्तों की सूचियॉ मय चकप्लान अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

(5) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा चकप्लान के अनुसार रास्ता स्वीकृत के आदेश प्रदान किये गये है उक्त रास्ता सभी काश्ताकारों अर्थात चक 10 एम.एस.एम. के काश्तकारों/खातेदारों की भूमि के सींव—सींव रास्ता स्वीकृत चकप्लान के अनुसार किया गया है। जिससे किसी भी काश्तकार के काश्त कब्जे व हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है।

प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट का यह कथन कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं

किया गया है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि अदालत मातहत द्वारा चकप्लान के अनुसार पूर्व में चले आ रहे रास्तों का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में चूंकि मौके पर रास्ता पूर्व से ही कायम चला आ रहा है तथा इस स्थिति से अपीलांट स्वयं भलींभांति वाकिफ चले आ रहे थे। ऐसी स्थिति में अपीलांट के इस कथन को कोई बल प्राप्त नहीं होता है कि अदालत मातहत द्वारा सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, पूगल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—07—2017 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर